International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(II), October - December, 2024, pp. 91-100

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 – विश्लेषण, चुनौतियाँ

डॉ. कीर्ति सुधा मुद्गल*

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति सदियों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा व उनके सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है।

इस आर्टिकल में हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के प्रावधानों, इसके उद्देश्यों और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि यह अधिनियम महिलाओं के जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधार सकता है।

भारत में महिलाएं सदियों से भेदभाव का शिकार रही है, ऐसे में अगर संसद से ही इसे समाप्त करने की शुरूआत हो तो संभवतः यह देश के लिए बड़ा संदेश होगा और साथ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी राह खुलेगी। इस आर्टिकल में यह बात समझेंगे कि पुरुषों व महिलाओं की समान भागीदारी न केवल न्याय व लोकतंत्र के लिए अहम है बल्कि यह सुव्यवस्थित मानव अस्तित्व के लिए भी अनिवार्य है।

भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.3 प्रतिशत है, भारत में आरक्षण का लंबा दौर रहा है, अलग–अलग राज्यों में आरक्षण के लिए आन्दोलन होते रहे हैं।

20 सितम्बर, 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को मंजूरी दे दी है जिसे महिला आरक्षण विधेयक कहा गया।

महिला आरक्षण विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है। यह विधेयक महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित करने व उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 239।। में संशोधन करता है तथा अनुच्छेद 330। व 332। को सम्मिलित करता है। अनु. 330। लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है।

महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित

यह विधेयक संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

* व्याख्याता (रा.वि.), राजस्थान।

- 330A(1) लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
- अनु. 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्गों में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करेगा।
- लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से यथाशम्य निकटतम एक तिहाई (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी।
- यह विधेयक आरक्षित सीटों में से महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित करेगा।
- अनुच्छेद 332A और 239AA क्रमशः राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के लिए, समान आवश्यकताएं प्रदान करते हैं।
- आरक्षित सीटें राज्य या केन्द्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएगी।

महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों ?

- संसद में महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है ताकि वे राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित हो सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके।
- महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार व अवसर प्रदान करने के लिए महिलाओं के मुद्दों का समाधन करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए वे अधिकारों का प्रयोग कर सके।
- महिला आरक्षण से महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित व सशक्त किया जा सकता है।
- महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
- राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों के प्रति ग्रहणशील हो, सशक्त हो तथा रोल मॉडल बने।

महिला आरक्षण से संबंधित डाटा

- वर्ष / पुस्तक / शोधपत्र / लेखक।
- 1996 / ''महिला आरक्षण एक विश्लेषण'' (डॉ. सुषमा यादव) – लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 1991 में 28 थी जो 1996 में बढ़कर 40 हो गई।
- 2009 / ''महिला आरक्षण विधेयक : एक विश्लेषण'' (डॉ. रीता बहुगुणा) – राज्य विधानमंडलों में महिला विधायकों की संख्या 2004 में 248 थी जो 2009 में बढ़कर 341 हो गई।
- 2014 / ''महिला आरक्षण : एक समीक्षा'' (डॉ. सुनीता तिवारी) / लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 2009 में 59 थी जो 2014 में बढ़कर 62 हो गई।
- 2019 / ''महिला आरक्षण विधेयक : एक विश्लेषण'' (डॉ. प्रिया दीक्षित), राज्य विधानमंडलों में महिला विधायकों की संख्या 2014 में 412 थी जो 2019 में 522 हो गई।

महिला आरक्षण पर सैकण्डरी द्वारा विश्लेषण विभिन्न स्रोतों से महिला आरक्षण के प्रति जनमत

वर्ष / सर्वेक्षण एजेन्सी / महिला आरक्षण के प्रति समर्थन (प्रतिशत में)

- 2010 / सेंटर फार द स्टडी ऑफ डवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) – 64.5 प्रतिशत
- 2014 / सीएसडीएस / 71.2 प्रतिशत

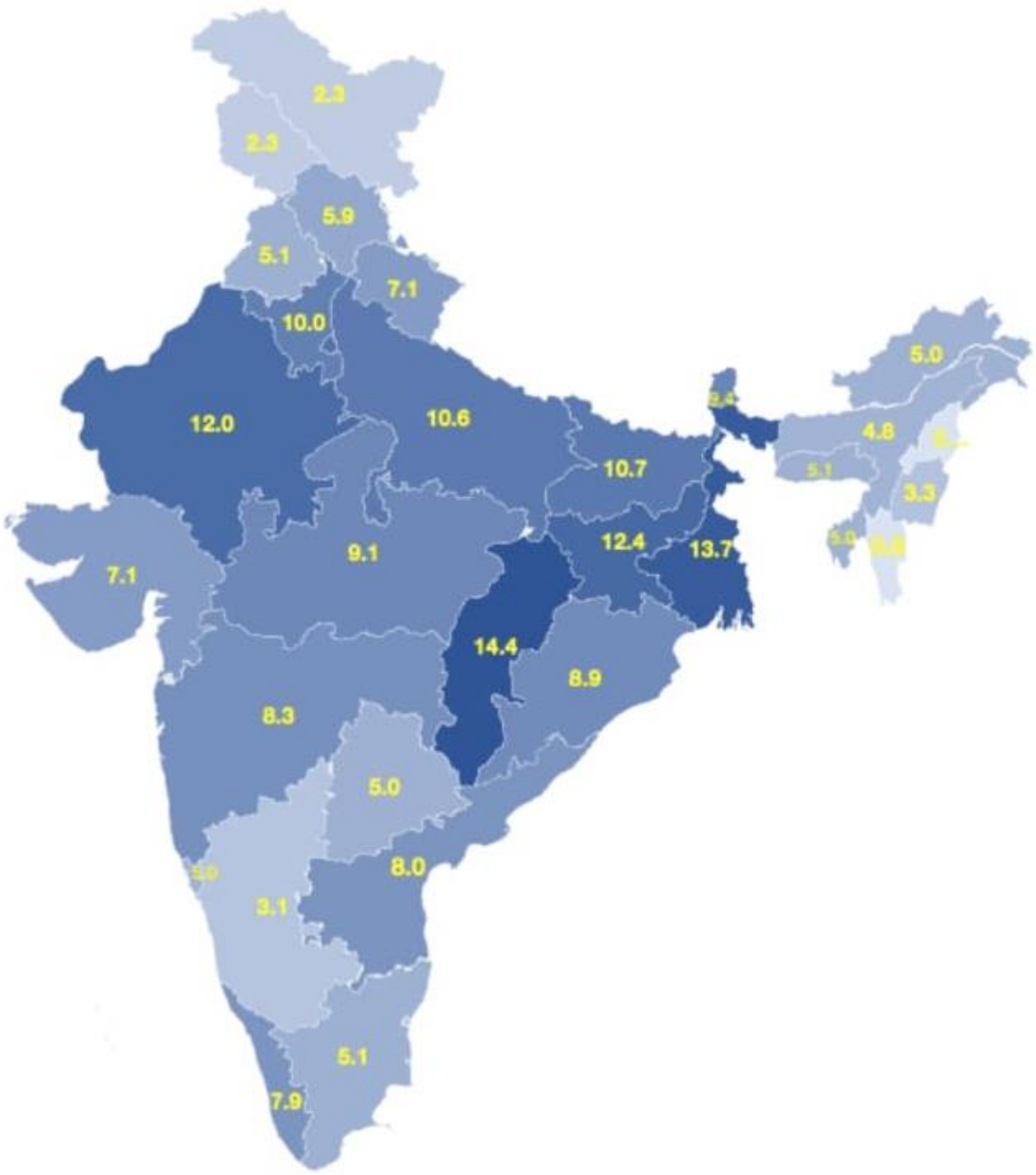

महिला आरक्षण के प्रति जनमत में बढ़ती समर्थन की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

- महिला सांसदों व विधायकों की संख्या

  वर्ष / लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या / रा. विधानमंडलों में महिला विधायकों की संख्या

  2009 / 59 / 243

  2014 / 62 / 412

  2019 / 78 / 522

  भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या रही है ?

(a) पिछले कुछ वर्षों में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या सिर्फ 4.41 प्रतिशत थी। 10 वर्ष बाद हुए लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 6 प्रतिशत से ज्यादा हो गई।
- 1971 में जब देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सत्ता में थी, तब लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4 प्रतिशत से भी नीचे चली गई।
- 2009 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया तथा 2019 में 14.36 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस दशक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई।
- 2024 में लोकसभा में 74 महिला सांसद चुनी गई। जिनमें से 43 पहली बार सांसद बनी है। यह महिला सांसद पुरुष सांसदों के बराबर शिक्षित है तथा 78 प्रतिशत महिला सांसदों ने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है।

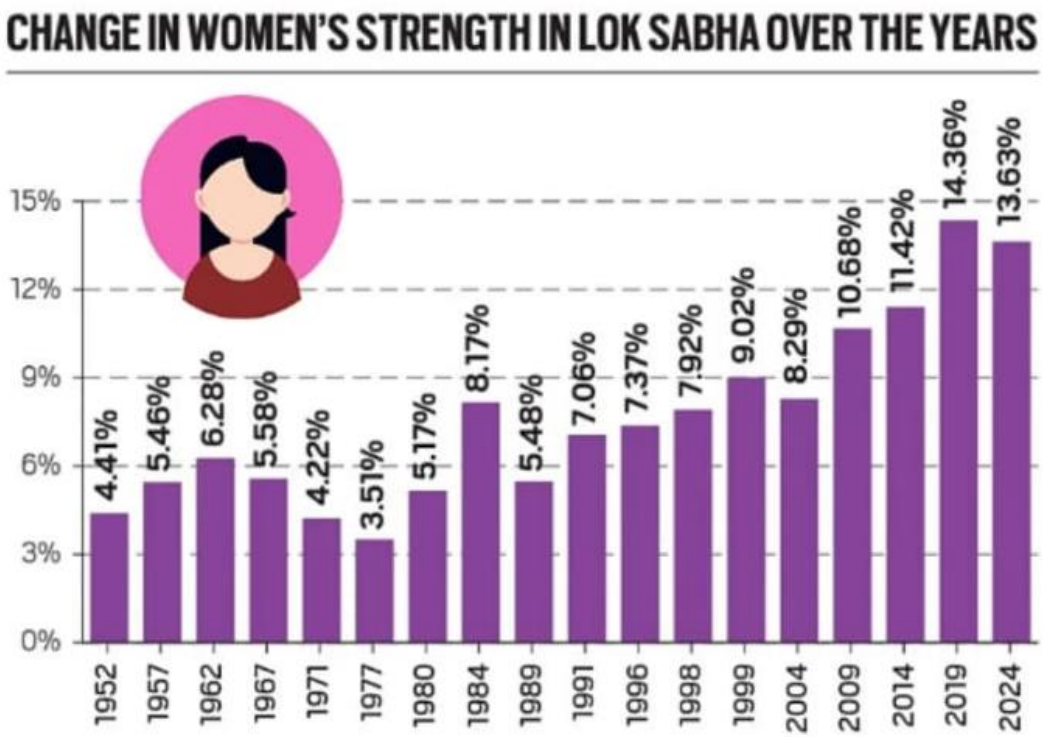

men in Lok Sabha 2024. (Data via PRS Legislative Research)

(b) राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ (14.4 प्रतिशत) में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल (13.7 प्रतिशत) और झारखंड (12.4 प्रतिशत) में है।

(c) वैश्विक मानकों से तुलना

अंतरसंसदीय संघ (IPU) की ''संसद में महिलाएं'' रिपोर्ट (2021) के अनुसार संसद में महिलाओं का वैश्विक प्रतिशत 26.1 प्रतिशत था। अपने राष्ट्रीय विधानमंडलों में सेवारत महिलाओं की संख्या के मामले में भारत 140 अन्य देशों से नीचे है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। फिर भी भारत अफ्रीका व दक्षिण एशिया के कई देशों (नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) से पीछे हैं।

भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है ?

- भारतीय राजनीति के पितृसत्तात्मक ढ़ांचे को रोकना – भारतीय राजनीति हमेशा से पितृसत्तात्मक रही है। पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण शीर्ष पार्टी पदों और सत्ता के पदों पर पुरुषों का कब्जा रहा है। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि भारतीय राजनीति की पितृसत्तात्मक प्रकृति को खत्म करती है।
- रूढ़िवाद की बेड़ियों को तोड़ना – महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच को बदलने की दिशा में सशक्त प्रयास करने की महती आवश्यकता है। केवल प्रतिनिधित्व में वृद्धि से ही महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है।
- लैंगिक समानता – वास्तविक लोकतंत्र व लैंगिक समानता के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ही एकमात्र शर्त है। यह महिलाओं के मुद्दों पर सार्वजनिक जांच स्थापित करने और निष्कर्षों का उपयोग करके सरकारी एजेंडा व विधायी कार्यक्रमों में मुद्दों को रखने में मदद करना है।
- जवाबदेही व लैंगिक संवेदनशील शासन – महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण सार्वजनिक निर्णय में प्रत्यक्ष भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है और महिलाओं के प्रति बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने का एकमात्र साधन है। यह उन सुधारों को करने में मदद करता है जो सभी निर्वाचित अधिकारियों को सार्वजनिक नीति में बढ़ावा देने और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी बनने में मदद कर सकते हैं।
- आर्थिक प्रदर्शन और बुनियादी ढ़ांचे सुधार – यू.एन. यूनिवर्सिटी के अनुसार महिला विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के आर्थिक प्रदर्शन में पुरुष विधायकों की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक सुधार करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मूल्यांकन से पता चलता है कि अधूरी सड़क परियोजनाओं का हिस्सा महिला नेतृत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में 22 प्रतिशत कम है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी के कारण

- महिलाओं को पुरुषों की तुलना में चुनाव/कार्यालय के लिए कम प्रोत्साहित किया जाता है।
- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मजबूत वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन वाले स्थापित पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- महिलाओं के राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ने की इच्छा उनके पारिवारिक संबंधों पर बुरा प्रभाव डालती है ऐसा मिथक प्रचलित है।
- भारतीय राजनीति की पितृसत्तात्मक प्रकृति व सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाएं
- लैंगिक असमानताएं
- श्रम का लैंगिक विभाजन
- महिलाओं पर सांस्कृतिक व सामाजिक अपेक्षाएं थोपी जाती है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं के चुनाव लड़ने के लिए धन जुटाने की संभावना कम बनती है।
- गेटकीपर के रूप में पुरुष राजनेता
- राजनीतिक शिक्षा की कमी के साथ–साथ भ्रष्टाचार व अपराधीकरण में वृद्धि
- संस्थागत व कानूनी बाधाएं

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023

- 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीट आरक्षित करता है।

- यह लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
- अधिनियम में अनु. 334।;1द्ध भी शामिल किया गया है जिसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कब प्रभावी होगा।
- इस विधेयक के लागू होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा।
- जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आवंटित सीटों का चक्रण संसदीय कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- परिसीमन 2026 से पहले नहीं हो सकता क्योंकि जनगणना में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में 2027 में 8 राज्यों के चुनाव व 2029 के आम चुनाव से यह लागू हो जाएगा।
- 17वीं लोकसभा (2019–2024) में 14.4 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं निर्वाचित हुई है जिनका लोकसभा में 13.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।
- वर्तमान में राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.05 प्रतिशत है।

संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023	
भारत की संसद	
लंबा शीर्षक **भारत के संविधान को और संशोधित करने के लिए अधिनियम**	
प्रादेशिक विस्तार	भारत
द्वारा अधिनियमित	लोकसभा
अभिनीत	20 सितंबर 2023
द्वारा अधिनियमित	राज्य सभा
अभिनीत	21 सितंबर 2023
द्वारा स्वीकृत	राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
सहमति दी गई	28 सितंबर 2023
समाप्ति तिथि	अधिनियमन के 15 वर्ष बाद
विधायी इतिहास	
प्रथम सदन : लोकसभा	
बिल का शीर्षक	संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023
द्वारा प्रस्तुत	विधि एवं न्याय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल
शुरू की	19 सितंबर 2023
उत्तीर्ण	20 सितंबर 2023
मतदान सारांश	454 ने मतदान किया 2 ने विरोध में मतदान किया किसी ने मतदान में भाग नहीं लिया
दूसरा सदन : राज्य सभा	
बिल का शीर्षक	संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023
लोकसभा से प्राप्त	20 सितम्बर, 2023
उत्तीर्ण	21 सितम्बर, 2023
मतदान सारांश	214 ने मतदान किया। किसी ने भी इसके खिलाफ मतदान नहीं किया। किसी ने मतदान में भाग नहीं लिया।

महिला आरक्षण के लिए 1952 से अब तक किये जाने वाले विधायी प्रयास

- संविधान सभा में भी महिलाओं के आरक्षण की मांग उठाई गयी थी लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया।
- 1952–70 का दौर : प्रारम्भिक चर्चा – मतदान के लिए समान अवसर को ही पर्याप्त माना।
  - प्रथम लोकसभा चुनाव (1982) के दौरान महिला प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाया गया।
  - 1953 में श्रीमती रेणुका राय केन्द्रीय व्यवस्थापिका में प्रथम महिला सदस्य के रूप में चुनी गई।
  - 1960 व 70 के दशक में नारीवादी आन्दोलन के चलते महिला संगठनों ने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग शुरू की।
- **नीतिगत परिवर्तन का दौर (1980–90)**
  - महिला व बाल विकास पर बनी समिति (1974) ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश की।
  - राष्ट्रीय महिला नीति (1985) की महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई।
  - 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत व नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम था।
- **पहला महिला आरक्षण विधेयक (1996)**
  - एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने लोकसभा व राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पेश किया। लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका।
- **विधेयक का संघर्ष (1998–2010)**
  - 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को दोबारा पेश किया।
  - मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया तथा यह 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ। लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका तथा विधेयक निष्क्रिय हो गया।
- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023)**
  - नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया।
  - यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। यद्यपि यह विधेयक परिसीमन (जनगणना) के बाद लागू किया जाएगा।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के विधायी उपाय

(a) नारी शक्ति वंदन अधिनियम

लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए पारित किया गया है।

(b) 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम

इस संशोधन अधिनियम ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। बिहार जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(c) महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति

11वीं लोकसभा (1997) में महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया था।

(d) लोकसभा के लैंगिक तटस्थ नियम

मीरा कुमार के नेतृत्व में 2014 में लोकसभा के नियमों को पूरी तरह से लैंगिक तटस्थ बना दिया गया। तब से, हर दस्तावेज में लोकसभा समिति के प्रमुख को अध्यक्ष कहा गया है।

संवैधानिक उपाय

- अनुच्छेद 14 – इसने समानता को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है।
- अनुच्छेद 46 – यह राज्य पर सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर समूहों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी डालता है।
- अनुच्छेद 243डी – यह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है इसके लिए पंचायतों की कुल सीटों और अध्यक्षों के पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 326 – लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होना।

अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंध

विश्व स्तर पर लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए कईं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं की गई और इनमें राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (1979) – सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी के अधिकार को बरकरार रखा।
- बीजिंग प्लेटफार्म फोर एक्शन (1995), मिलेनियम डवलपमेन्ट गोल्स (2000) और सतत विकास लक्ष्य (2015–2030) – इन सभी ने समान भागीदारी के लिए बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी ध्यान दिया।

महिला आरक्षण अधिनियम के लाभ

- **सकारात्मक कार्यवाही** – यह अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि देश की राजनीति में महिलाओं का विधिवत प्रतिनिधित्व हो। वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर है।
- **राजनीतिक सशक्तिकरण** श्रेणी के अन्तर्गत महिलाएं सांसदों का 15.1 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है, निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की आवाज प्रमुख होगी।
- **लिंग संवेदनशीलता** – यह एक विश्वास है कि महिलायें, महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति, अधिक ग्रहणशील और संवदेनशील होती है। कानून के निर्माण में उनका समावेश महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान में सकारात्मक प्रभाव होगा।
- **पंचायतों का सफल टेम्पलेट** – पंचायतों में मौजूदा आरक्षण प्रणाली से नकारात्मक परिणाम प्रदर्शित हुए हैं। इसी कारण यह पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

- **समावेशी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन –** यूरोप के देशों जैसे स्वीडन, नार्वे आदि के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि जैसे–जेसे महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ता है, वैसे–वैसे देश को आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ हुआ है जो कि समावेशी विकास को इंगित करता है।
- **समाज पर प्रभाव –** महिलाओं के सशक्तिकरणव से समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे। महिलाओं से जुड़े मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी।
- **'अन्तर्राष्ट्रीय चुनाव –** भारत विश्व के उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है।
- यह कदम भारत की लोकतांत्रिक छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा।
- यह अधिनियम भारतीय राजनीति में पितृसत्तात्मक ढ़ांचे को बदलने का प्रयास करेगा। इससे नीतिगत प्राथमिकताओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

नारी वंदन अधिनियम की रहि में आने वाली चुनौतियाँ

भारतीय राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने का यह अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है लेकिन इसे प्रभावी ढ़ंग से लागू करने में बहुत ही चुनौतियाँ है, ये राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक स्तर पर मौजूद है।

- **परिसीमन व जनगणना की देरी –** अधिनियम को लागू करने के लिए अगली जनगणना व उसके आधार पर नए परिसीमन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 2021 की जनगणना अभी पूरी नहीं हुई है। इससे अधिनियम तत्काल प्रभाव में नहीं आया।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी –** अधिनियम को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए राजनीतिक दलों को अपनी संरचनाओं में बदलाव करना होगा जिससे महिला नेतृत्व को बढ़ाया जा सके। लेकिन आरक्षण संबंधी सुधार कई बार राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनकर रह जाते हैं।
- **क्षेत्रीय दलों का मानना है कि** आरक्षण लागू होने से पुरुष प्रतिनिधियों के अवसर कम हो जाएंगे। कुछ समूह व राजनीतिक दल महिला आरक्षण का विरोध करते हैं।
- **सामाजिक बाधाएं –** पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए अभी भी पारिवारिक व सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर महिला प्रतिनिधित्व को सामाजिक स्तर पर समर्थन ना मिले तो यह केवल समानता का प्रतीक बनकर रह जाएगी।
- प्रॉक्सीप्रतिनिधित्व महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण को बाधित कर सकती है क्योंकि महिला प्रतिनिधियों को अक्सर उनके परिवारों (पति या पिता) द्वारा प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस अधिनियम में अन्य वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है जिसमें कुछ वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं। यह मांग एक चुनौती के रूप में सामने आ सकती है।
- महिलाओं को निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से शामिल करना होगा क्योंकि महज आरक्षण देने से सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं होगा।
- महिलाओं के सामने राजनीतिक प्रशिक्षण व अनुभव की कमी एक बड़ी चुनौती है। उन्हें नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल व संसाधन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
- महिलाओं को मजबूत व प्रतिस्पर्धी सीटों पर उम्मीदवार बनाए जाए क्योंकि राजनीतिक दल प्रायः पसंदीदा निर्वाचन क्षेत्र देने से बनते हैं।
- आरक्षण की अवधि 15 वर्षों तक ही सीमित है यह अस्थायी प्रावधन भी चुनौती है।
- संसदीय व विधानसभाओं की संरचनात्मक बाधाएं महिला आरक्षण के प्रावधानों को चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

निष्कर्ष

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का क्रियान्वयन भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह समाज में बदलाव लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी जिससे समावेशी आर्थिक विकास, संतुलित नीति निर्माण व लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

यद्यपि अधिनियम के लागू होने में जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के कारण समय लगेगा। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव असीमित होंगे। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल राजनीति में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

यह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिकाओं में आने के लिए प्रेरित करेगा।

यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र ढ़ांचे को मजबूत करेगा और लैंगिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।

यह समाज के उस सपने को साकार करने की ओर बढ़ता हुआ कदम है जहां महिलाएं समानता, गरिमा और नेतृत्व के साथ अपने अधिकारों का उपयोग कर सके।

अंततः यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा जहां महिलाओं की आवाज और उनके योगदान को समान मान्यता मिलेगी। यह कदम भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां महिलाएं व पुरुष समान रूप से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। यह अधिनियम न केवल भारतीय राजनीति में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने के लिए राजनीतिक सहमति जुटाना चुनौतीपूर्ण है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी कुंज.कॉम प्रो. शेख मोईन शेख नईम, डॉ. उत्साह पाटील लॉ कॉलेज, जलगांव
2. डॉ. तुलसी भारद्वाजः नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 चुनौतियां, संभावनाएं
3. Women and Politics in India: शेरिन जोसफ पब्लिकेशन, Sage Publication, Year 2001.
4. "The Women's Reservation Bill: A historical perspective विमलनाथ त्रिपाठी, Bookwell Publication Year 2010.
5. "Indian Polity: M. Laxmikanth, McGraw-Hill Education Publication, Year 2017 (15th Edition)
6. "Gender and Politics in India", Rekha Sharma; Pearson Education, Year 2012.
7. "Women and Law in India", Sunita Sharma, Eastern Book Company, year 2005.
8. Women's Right and Empowerment in India - Archana Singh; Springer Publication; year 2018.
9. Women in India Politics: Geeta Mehra, Shipra Publication Year 2004.\
10. "Gender Equality and Women Empowerment in India", Neelam Kumari, Rawat Publication, year 2017.

❖◆❖